



## The Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog Act, 1995

Act 24 of 1995

Amendment append: 4 of 2018, 22 of 2020

Keyword(s):

Anusuchit Janjati, Committee

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

डाक व्यय की पूर्व-अदायगी के  
बिना डाक द्वारा भेजे जाने के  
लिये अनुमति, अनुमति-पत्र क्र.  
भोपाल-505/डब्ल्यू.पी.



पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन  
122 (एम.पी.)

## मध्यप्रदेश राजपत्र

### (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 जून 1995-आषाढ़ 8, शके 1917

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 जून 1995

क्र. 7142-इक्कीस-अ-(प्रा.)-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 24 मई, 1995 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
टी.पी.एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव

3. (1) सदूच सभाम एक विषय के बारे में ज्ञानात्मक रूप से सभा अनुसार अधिकार के नाम से ज्ञान देना वह कोई विषयात्मक विषय के बारे में ज्ञानात्मक रूप से सभा अनुसार अधिकार के नाम से ज्ञान देना नहीं है।
- (2) अधिकार में निम्नलिखित सदूच द्वारा-
- (3) दीव असाधारण सदूच को अनुसार अनुसार से सम्बद्ध वामसी में विशेष रूप से उत्तर दीवाहाल है।

मध्यप्रदेश अधिनियम  
क्रमांक २४ सन् १९९५

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, १९९५.

विषय-सूची

धाराएँ :

अध्याय १ - प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

२. परिभाषाएँ।

अध्याय २ - राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

३. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन।

४. अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें।

५. आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी।

६. वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदानों में से किया जायेगा।

७. रिक्तियों, आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होंगी।

८. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना।

अध्याय ३ - आयोग के कृत्य तथा शक्तियाँ

९. आयोग के कृत्य।

१०. आयोग की शक्तियाँ।

अध्याय ४ - वित्त, लेखा और संपरीक्षा

११. राज्य सरकार द्वारा अनुदान।

१२. लेखे तथा संपरीक्षा।

१३. वार्षिक रिपोर्ट।

१४. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का विधान सभा के समक्ष रखा जाना।

अध्याय ५ - प्रकीर्ण

१५. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे।

१६. सद्व्यवहार की गई कार्रवाई का संरक्षण।

१७. नियम बनाने की शक्ति।

१८. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

१९. व्यावृत्ति।

**मध्यप्रदेश अधिनियम**  
**क्रमांक 24 सन् 1995**

**मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995**

[दिनांक 24 मई, 1995 के राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक 29 जून, 1995 को प्रथमबार प्रकाशित की गई।]

राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

**अध्याय 1 - प्रारंभिक**

**संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 है।  
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है।  
(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

**परिभाषायें**

- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-  
(क) “आयोग” से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग।  
(ख) “सदस्य” से अभिप्रेत है आयोग का, सदस्य तथा इसमें अध्यक्ष (चेयरपर्सन) सम्मिलित है;  
(ग) “अनुसूचित जनजातियों” से अभिप्रेत है ऐसी जनजातियाँ या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

**अध्याय 2 - राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग**

**राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन**

- (1) राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी जो मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा और जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कृत्यों का पालन करेगा।  
(2) आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-  
(क) तीन अशासकीय सदस्य जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हों जिनमें

से एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा जिन्हे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा :

परन्तु कम से कम दो सदस्य अनुसूचित जनजातियों में से होंगे।

(ख) आयुक्त, जनजाति विकास मध्यप्रदेश।

अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें

4. (1) आयोग का प्रत्येक अशासकीय सदस्य, उस तारीख से, जिसको कि वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।
- (2) कोई सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा।
- (3) राज्य सरकार सदस्य के पद से किसी व्यक्ति को हटा देगी, यदि वह व्यक्ति-
- (क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है।
- (ख) किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, दोष सिद्ध हो जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है।
- (ग) विकृतचित्त हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है।
- (घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है।
- (ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति अभिप्राप्त किये बिना आयोग के लगातार तीन सम्मिलनों से अनुपस्थित रहता है; या
- (च) राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य की हैसियत का ऐसा दुरुपयोग करता है जिससे कि उस व्यक्ति का पद पर बना रहना अनुसूचित जनजातियों के हितों या लोकहित के लिये अपायकर हो गया है:

परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे उस मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया है।

- (4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्ति को नया नामनिर्देशन करके भरा जायेगा तथा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती की शेष अवधि तक पद धारण करेगा।
- (5) अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाये।

आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी

5. (1) राज्य सरकार आयोग का एक सचिव नियुक्त करेगी तथा ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो कि आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिये आवश्यक है।

- (2) आयोग के प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाये।

वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदानों में से किया जायेगा

6. अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्तों और प्रशासनिक व्यय, जिसके अंतर्गत धारा 5 में निर्दिष्ट सचिव, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते तथा पेंशन है, का भुगतान धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से किया जायेगा।

रिक्तियों, आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होंगी

7. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्त विद्यमान है या आयोग के गठन में कोई त्रुटि है।

प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना

8. (1) आयोग जब जितनी बार भी आवश्यक हो अपना सम्मिलन ऐसे समय तथा स्थान पर करेगा जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे।

- (2) आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा।

- (3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या सचिव द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

### अध्याय 3 - आयोग के कृत्य तथा शक्तियाँ

आयोग के कृत्य

9. (1) आयोग का यह कृत्य होगा कि वह-

- (क) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिये हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करें;

- (ख) किन्हीं विशिष्ट जनजातियों या जनजाति समुदायों या ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में सम्मिलित करने के लिये कदम उठाने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश करना;

- (ग) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन की निगरानी को तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में जो ऐसे कार्यक्रमों के लिये जिम्मेदार है, सुधार हेतु सुझाव दे।

- (घ) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण के संबंध में सलाह दे।

- (ङ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करे जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

- (2) आयोग की सलाह साधारणतः राज्य सरकार पर आबद्धकर होगी तथापि जहाँ सरकार सलाह को स्वीकार नहीं करती है वहाँ वह उसके लिये कारण अभिलिखित करेगी।

### आयोग की शक्तियाँ

10. आयोग को धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत् किसी बाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी अर्थात्-

- (क) राज्य के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना;
- (ड) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन निकालना; और
- (च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये।

## अध्याय 4 - वित्त, लेखा और संपरीक्षा

### राज्य सरकार द्वारा अनुदान

11. (1) राज्य सरकार विधान सभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात् आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी जैसा कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जाने के लिये उचित समझे।  
(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिये जितनी राशि उचित समझे उतनी राशि का व्यय कर सकेगा और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय के रूप में माना जायेगा।

### लेखे तथा संपरीक्षा

12. (1) आयोग समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, विहित किया जाये।  
(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, महालेखाकार, मध्यप्रदेश द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जायेगी जो कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार को संदेय होगा।

### वार्षिक रिपोर्ट

13. आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जो कि विहित किया जाये,

अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का सम्पूर्ण विवरण दिया जायेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अप्रेषित करेगा।

### वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का विधान सभा के समक्ष रखा जाना

14. राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट को और उसके साथ आयोग द्वारा धारा 9 के अधीन दी गई सलाह पर की गई कार्रवाई और यदि ऐसी किसी सलाह को स्वीकार नहीं किया गया है तो ऐसे अस्वीकार किये जाने के कारणों का यदि कोई हो, एक ज्ञापन और संपरीक्षा रिपोर्ट को ऐसी रिपोर्टों के प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।

### अध्याय 5 - प्रकार्त्ता

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

15. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जायेगे।

### सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण

16. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही आयोग के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

### नियम बनाने की शक्ति

17. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती।  
(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:-  
(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों तथा धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें;  
(ख) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप, जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जायेगा;  
(ग) धारा 13 के अधीन वह प्ररूप, जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी;  
(घ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाये;  
(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाये जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

18. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :  
 परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा।

व्यावृत्ति

19. मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1983 (क्रमांक 31 सन् 1983) के निरसन के होते हुये भी, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में उक्त निरस्त अधिनियम के अधीन गठित आयोग द्वारा की गई किसी भी बात या कार्रवाई या उसकी सिफारिश के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा की गई किसी बात या कार्रवाई के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है।

भोपाल, दिनांक 29 जून, 1995

क्र. 7143-इकीस-अ-(प्रा.) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
टी.पी.एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17 ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 जनवरी 2018 — पौष 28, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2018

क्रमांक 646/डी. 11/21-अ/प्रारू. /छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 08-01-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आवेशानुसार,  
क्षी. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

**छत्तीसगढ़ अधिनियम**  
(क्रमांक 4 सन् 2018)

**छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2017**

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 24 सन् 1995) को संशोधित करने हेतु  
अधिनियम .

भारत गणराज्य के अडसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहलायेगा.
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
2. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 24 सन् 1995) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्विष्ट है) की धारा 2 में, खण्ड (ख.) में, शब्द “अध्यक्ष (चेयरपर्सन)” के पश्चात्, शब्द “तथा उपाध्यक्ष” अंतःस्थापित किया जाये।
3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, उप-धारा (2) में, खण्ड (क) में, शब्द “एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा” के पश्चात्, शब्द “तथा एक उपाध्यक्ष होगा” अंतःस्थापित किया जाये।
4. मूल अधिनियम की धारा 4 में, जहां कही भी शब्द “अध्यक्ष” आया हो के पश्चात्, विराम चिन्ह एवं शब्द “उपाध्यक्ष” अंतःस्थापित किया जाये।
5. मूल अधिनियम की धारा 6 में, शब्द “अध्यक्ष” के पश्चात्, विराम चिन्ह एवं शब्द “उपाध्यक्ष” अंतःस्थापित किया जाये।
6. मूल अधिनियम की धारा 15 में, शब्द “अध्यक्ष” के पश्चात्, विराम चिन्ह एवं शब्द “उपाध्यक्ष” अंतःस्थापित किया जाये।
7. मूल अधिनियम की धारा 17 में, उप-धारा (2) में, खण्ड (क) में, शब्द “अध्यक्ष” के पश्चात्, विराम चिन्ह एवं शब्द “उपाध्यक्ष” अंतःस्थापित किया जाये।

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2018

क्रमांक 646/डी. 11/21-अ/प्रारू. /छ. ग./18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंबद्धक अधिसूचना दिनांक 18-1-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

## CHHATTISGARH ACT

(No. 4 of 2018)

**THE CHHATTISGARH RAJYA ANUSUCHIT JANJATI AYOG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2017**

**An Act to amend the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog Adhiniyam, 1995  
(No. 24 of 1995).**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows :-

- |    |   |                                      |
|----|---|--------------------------------------|
| 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017.  | <b>Short title and commencement.</b> |
| 2. | In Section 2 of the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 24 of 1995), (hereinafter referred to as the Principal Act), in clause (b), after the words “the chairperson”, the words “and Vice Chairperson” shall be inserted. | <b>Amendment of Section 2.</b>       |
| 3. | In Section 3 of the Principal Act, in sub-section (2), in clause (a), after the words “the chairperson”, the words “and one shall be Vice Chairperson” shall be inserted.   | <b>Amendment of Section 3.</b>       |
| 4. | In Section 4 of the Principal Act, after the word “Chairperson”, wherever it occurs, the punctuation and word “, Vice Chairperson” shall be inserted.   | <b>Amendment of Section 4.</b>       |
| 5. | In Section 6 of the Principal Act, after the word “Chairperson”, the punctuation and word “, Vice Chairperson” shall be inserted.   | <b>Amendment of Section 6.</b>       |
| 6. | In Section 15 of the Principal Act, after the words “The Chairperson”, the punctuation and word “, Vice Chairperson” shall be inserted.   | <b>Amendment of Section 15.</b>      |
| 7. | In Section 17 of the Principal Act, in sub-section (2), in clause (a), after the words “the Chairperson”, the punctuation and word “, Vice Chairperson” shall be inserted.  | <b>Amendment of Section 17.</b>      |

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17 ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 जनवरी 2018 — पौष 28, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2018

क्रमांक 646/डी. 11/21-अ/प्रारू. /छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 08-01-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आवेशानुसार,  
क्षी. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के  
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण  
हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़  
गजर / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक  
30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 509]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2020 — आस्थिन 23, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 15 अक्टूबर 2020

क्रमांक 7834/डी. 155/21-अ/प्रारू. /छ.ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम  
जिस पर दिनांक 30-09-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए  
प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.**

**छत्तीसगढ़ अधिनियम**  
**(क्रमांक 22 सन् 2020)**

**छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2020**

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 24 सन् 1995) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार<br>तथा प्रारंभ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा।           <ol style="list-style-type: none"> <li>(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।</li> <li>(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।</li> </ol> </li> <br/> <li>2. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 24 सन् 1995), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—           <ol style="list-style-type: none"> <li>(क) “छ: अशासकीय सदस्य, जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हैं, जिनमें से एक अध्यक्ष</li> </ol> </li> </ol> |
|---------------------------------------|--|

(चेयरपर्सन) होगा और एक उपाध्यक्ष (वाईस चेयरपर्सन) होगा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा:

परन्तु अध्यक्ष (चेयरपर्सन),  
उपाध्यक्ष (वाईस चेयरपर्सन) सहित कम से  
कम चार सदस्य अनुसूचित जनजातियों में  
से होंगे।"

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये,  
अर्थात्—

"(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य,  
उस तारीख से, जिस पर वह अपना  
पद ग्रहण करता है, राज्य सरकार के  
प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।"

धारा 4 का संशोधन.

अटल नगर, दिनांक 15 अक्टूबर 2020

क्रमांक 7834/डी. 155/21-अ/प्रारू. /छ.ग./20. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 15-10-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

**CHHATTISGARH ACT**  
**(No. 22 of 2020)**

**THE CHHATTISGARH RAJYA ANUSUCHIT JANJATI AYOG  
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2020**

An Act further to amend the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 24 of 1995).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-First Year of the Republic of India, as follows:-

**Short title, extent and commencement.** I. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020.

- (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

**Amendment of 2. Section 3.** For clause (a) of sub-section (2) of Section 3 of the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog Adhiniyam (No. 24 of 1995), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be substituted, namely:-

- “(a) Six non official members who have special knowledge in the matters relating to Scheduled Tribes of whom one shall be the Chairperson and one

shall be the Vice Chairperson to be appointed by the State Government:

Provided that at least four members including the Chairperson and Vice Chairperson, shall be from amongst the Scheduled Tribes.”

- 3.** For sub-section (1) of Section 4 of the Principal **Amendment of Act**, the following shall be substituted, namely :- **Section 4.**

“(1) The Chairperson, Vice Chairperson and every member shall hold office, from the date on which he assumes the office, during the pleasure of the State Government.”